सूचना पत्र

<u>आपकी वापसी के संदर्भ में किसी राजनयिक प्रतिनिधि के साथ साक्षात्कार</u>

आपको, वापसी व प्रस्थान सेवा (Repatriation and Departure Service) या विदेशी पुलिस (Aliens Police) द्वारा आहवान किया गया है कि आप जिस देश का नागरिक होने का दावा करते हैं या आप जहां लंबे समय तक रह चुके हैं या डच सरकार के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि आप उस देश के नागरिक है, आप वहां के राजनयिक प्रतिनिधि के समक्ष साक्षात्कार के लिये उपस्थित हों।

यह साक्षात्कार विदेशी अधिनियम (Aliens Act) लागू करने की रूपरेखा के अर्न्तगत किया जाएगा।

इस साक्षात्कार का ध्येय आपकी वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए आपकी पहचान व नागारिकता का निर्धारण करना है। इस साक्षात्कार के दौरान आपको मामले से संबंधित सभी मौखिक व लिखित प्रमाण पेश करने के लिए कहा जाएगा। आपको संबंधित देश के प्राधिकारियों से प्राप्त उन दस्तावेज़ों (की प्रतियां), जो आपके पास मौजूद हैं, भी प्रस्तुत करनी चाहिए जिन्हें आप अपनी पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करने, अथवा विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने देश के नगरपालिका प्राधिकरणों, स्कूलों, पूर्व नियोक्ताओं और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों से प्राप्त दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने पर भी विचार करना चाहिए।

डच सरकार प्रतिनिधि को वह जानकारी प्रदान करेगी जो आपकी पहचान एवं नागरिकता के निर्धारण के लिये महत्वपूर्ण है।

साक्षात्कार से पूर्व आपको वापसी व प्रस्थान सेवा विभाग (Repatriation and Departure Service) से सभी संबंधित दस्तावेज़ों जो आपकी पहचान और राष्ट्रीयता निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं, के साथ (बदले गए) यात्रा दस्तावेजों (Replacement travel Document) के लिये अनुरोध–पत्र की एक प्रति प्राप्त होगी, क्योंकि उन्हें प्रतिनिधि को प्रस्तुत किया जाना है।

नीदरलैंड्स में आपके निवास की पृष्ठभूमि के संबंध में, उन्हें केवल यह सूचना दी जायेगी कि आपको यहां रहने का अधिकार नहीं है और इसलिए आपके नीदरलैंड्स छोड़ कर जाना होगा, अथवा यह कि शीघ्र ही आपको नीदरलैंड्स से वापस भेज दिए जाने की संभावना है।

डच सरकार नीदरलैंड में आपके निवास के कारणों, शरण मांगने या देश में प्रवेश करने की अनुमति के विषय में आपके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों के बारे में कोई सूचना नही देगी।

डच कानून नीदरलैंड्स में आपके निवास के कारणों के बारे में जानकारी के साथ राजनयिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आपको बाध्य नहीं करते हैं।

यदि राजनयिक प्रतिनिधि के साथ अपने साक्षात्कार के विषय में आपकी कोई टिप्पणी है तो आप अपने वापसी व प्रस्थान सेवा के प्रस्थान अधिकारी (Departure Supervisor) से बात कर सकते हैं।